समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम
(Integrated Child Development Services Programme)

राष्ट्रीय बाल नीति-1974 के प्रस्तावों के अनुसरण में राज्य के बच्चों एवं महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1975 में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम लागू किया गया। राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना बाँसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में 2 अक्टूबर,1975 को प्रारम्भ की गई।

उद्देश्य

1. 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना।
3. कुपोषण, बाल मृत्यु, रूग्णता तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना।
4. बाल विकास को प्रोत्साहन के लिए सम्बन्धित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
5. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माताओं को प्रशिक्षित करना।

कार्यक्रम अंतर्गत निम्नलिखित 6 सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती है:-

क्र.सं.	सेवा	लाभार्थी
1.	पूरक पोषाहार	6 माह - 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती-धात्री महिलाएँ एवं 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाएँ
2.	शाला पूर्व शिक्षा	3-6 वर्ष के बच्चे
3.	पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा	15-45 वर्ष की महिलाएँ एवं किशोरी बालिकाएँ
4.	प्रतिरक्षण (टीकाकरण)	0-6 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाएँ
5.	स्वास्थ्य जाँच	0-6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती -धात्री महिलाएँ एवं किशोरी बालिकाएँ
6.	सन्दर्भ (रेफरल) सेवाएँ	0-6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती तथा धात्री महिलाएँ

उपरोक्त 6 में से 3 (क्रम संख्या 4 से 6 तक) सेवाएँ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करवाई जाती है।

1 **पूरक पोषाहारः-** बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण की स्थिति में सुधार हेतु बाल विकास परियोजनाओं के अधीन संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर वर्ष में 300 दिन समस्त पंजीकृत इच्छुक लाभान्वितों को पूरक पोषाहार का वितरण किया जा रहा है ताकि बच्चों एवं महिलाओं को वांछित न्यूनतम प्रोटीन एवं ऊर्जा की पूर्ति कर उनके पोषण स्तर को सुधारा जा सके। विभिन्न सर्वेक्षणों में यह पाया गया है कि इस समूह के लाभार्थियों को उनके लिए अनुशंषित दैनिक खुराक (R.D.A.) से कम मात्रा प्राप्त होती है। अतः पूरक पोषाहार के माध्यम से दैनिक खुराक की कमी की पूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान भारत सरकार द्वारा 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं के पूरक पोषाहार मानदण्डों को परिवर्तित किया गया है। ये नवीन मानदण्ड राज्य में जुलाई, 2009 से प्रभावी किये जा चुके हैं। नवीन निम्न मानदण्डों के अनुसार इन्हें किलो कैलोरी एवं प्रोटीन उपलब्ध कराया जा रहा है:-

क्र.सं.	लाभार्थी	प्रतिदिन प्रति लाभार्थी	
		किलोकैलोरी	प्रोटीन ग्राम
1.	6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे	500	12-15
2.	6 माह से 6 वर्ष तक के अति कम वजन वाले बच्चे	800	20-25
3	गर्भवती व धात्री महिलाएँ तथा किशोरी बालिकाएँ	600	18-20

2 **शालापूर्व शिक्षाः-** आंगनबाड़ी केन्द्र पर 3-6 वर्ष के आयु वर्ग के सभी पंजीकृत बच्चों को प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए विभिन्न आयामों यथा भाषा विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, रचनात्मक विकास एवं संवेगात्मक विकास एवं विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती है तथा किलकारी, उमंग व तरंग वर्कबुक पुस्तिकाओं के माध्यम से बच्चों का विकास किया जाता है। 3 से 6 आयु वर्ग के 9.92 लाख बच्चों को शालापूर्व शिक्षा सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है।

3 **पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा-** प्रतिमाह 61593 आंगनबाडी केन्द्रों पर मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन कर लाभार्थियों को टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी दी जा रही हैं।

विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत प्रति लाभान्वित प्रतिदिवस निर्धारित व्यय राशि

क्र.सं.	लाभान्वित की श्रेणी	लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पोषाहार का प्रकार एवं मात्रा	भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय नार्म्स प्रति लाभान्वित प्रति दिवस (राशि रूपये में)
1	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम बेबीमिक्स	8.00
2	6 माह से 3 वर्ष तक के अति कम वजन वाले बच्चे	200 ग्राम बेबीमिक्स	12.00
3	3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे	**नाश्ता** (फल, दूध, बेसन/तिल के लड्डू, मुरमुरे/पोहा, अंकुरित/उबली साबुत दाले), **गरम पूरक पोषाहार** (खिचडी/मीठा दलिया/रोटी सब्जी और दाल, चावल और चना दाल, बाजरा का खिचडा/कढी चावल)	8.00
4	3 वर्ष से 6 वर्ष के अति कम वजन वाले बच्चे	नाश्ता 75 ग्राम (अति. पोषाहार) गरम पूरक पोषाहार	12.00
5	गर्भवती/धात्री महिलाएं	155 ग्राम बेबीमिक्स	9.50
6	11-14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाएं (किशोरी बालिकाओ के लिए योजनान्तर्गत)	155 ग्राम बेबीमिक्स	9.50